

10.4.18

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एवं संधारित पंजी II के पृष्ठ संख्या.....105

जमाबंदी रैयत खमर खंडर के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में अद्वैत कार्यालय है, खाता 78 प्लॉट 232

रकवा 2.00 एकड़ अंकित है। लगान रसीद वर्ष 198081 से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पुर्व का सिद्ध करता है।

साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में
(1) कैलाश मंडल पिता धनु मंडल (2) इन्दुनाथ मंडल पिता सुधीर मंडल
(3) अरुण मंडल (4) संजीव मंडल पिता सुधीर मंडल (5) जयप्रकाश
(6) महु मंडल (7) मंडल पिता केशवनाथ मंडल (8) अनादी मंडल पिता
(9) विदेहि मंडल (10) शोधात्म मंडल पिता विदेहि मंडल (11) विदेहि मंडल पिता
का अनुगत सरकारी भू-खण्ड ग्रर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है।
उक्त नामित उत्तराधिकारी, जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा-2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार रॉची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तों को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्तमान उत्तराधिकारियों कैलाश मंडल, अरुण मंडल महु मंडल पिता धनु मंडल एवं अन्य

के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनबाद को भेजे।


10/4/18
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर